न्यायालय तहसीलदार तहसील मन्दसौर (ग्रामीण) जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

(ब मामले वाद धारा– म.प्र.भू राजस्व संहिता)

प्रकरण कमांक– 33/अ–20(3)/2021–22

06
12/01/22

– उद्घोषणा –

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उद्योग आयुक्त, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा ग्राम पानपुर तहसील मन्दसौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1190 रकबा 6.157 हेक्टयर एवं भूमि सर्वे नम्बर 1191 रकबा 15.605 कुल रकबा 21.762 हेक्टयर भूमि नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही/प्रतिवेदन हेतु न्यायालय में कार्यवाही जारी है।

अतःएव उपरोक्त के संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो विज्ञप्ति चस्पा होने के दिन से 30 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति पटवारी ग्राम पानपुर अथवा न्यायालय तहसीलदार तहसील मन्दसौर (ग्रामीण) में प्रस्तुत करें। अवधि गुजरने के बाद को किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक–12/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

पेशी दिनांक– 11/02/2022

तहसीलदार
तहसील मन्दसौर (ग्रामीण)
तहसीलदार तहसील मन्दसौर (ग्रामीण) (म.प्र.)

प्रतिलिपि :–
प्रतिलिपि :–

1. एक प्रति आयुक्त महोदय के कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु प्रेषित की जावे।
2. एक प्रति कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
3. एक प्रति प्रभारी अधिकारी, एनआईसी कलेक्टोरेट मन्दसौर को उद्घोषणा का प्रकाशन राजस्व विभाग तथा जिले की अधिकृत वेबसाइटा पर प्रकाशन हेतु दी जाए।
4. एक प्रति सहायक संचालक, जनसम्पर्क मन्दसौर को उद्घोषणा का प्रकाशन राजस्व विभाग तथा जिले की अधिकृत वेबसाइड पर प्रकाशन हेतु दी जाए।
5. एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
6. एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
7. एक प्रति सन्दर्भित भूमि के समीप किसी लोक समागम स्थल पर चस्पा की जावे।
8. एक प्रति आवेदक को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु दी जाए।
9. एक प्रति बाद निर्वहन वापस हो।

तहसीलदार
तहसील मन्दसौर (ग्रामीण)
तहसीलदार तहसील मन्दसौर (ग्रामीण) (म.प्र.)